

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-9(7)राज-6/2010/25

जयपुर दिनांक:- 22-10-2010

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 128 एवं अधिसूचना क्रमांक 5(21)राज-4/80/36 दि० 4.9.82 के तहत अविवादित सीमाज्ञान के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियों ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान-2010 के लिए नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा प्रदत्त की जाती है।

यह अधिसूचना दिनांक 10.11.2010 से 31.12.2010 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव , माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक इन्फ्रा।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
11. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दि० 22.10.10 में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज० जयपुर।
13. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. अतिरिक्त निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर (वित्त एवं लेखा)।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव